एंथनी डि'सूजा एवं अन्य

बनाम

कर्नाटक राज्य

30 अक्टूबर, 2002

[आर. सी. लाहोटी, बृजेश कुमार और एच. के. सेमा, जे. जे.]

साक्ष्य अधिनियम, 1872:

परिस्थितिजन्य साक्ष्य -हत्या के साथ डकैती -परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि-साक्ष्य का मूल्यांकन-निर्णित, क्योंकि अभियुक्त ने धारा 313 सी.आर.पी.सी के तहत अपनी जांच के दौरान स्थापित तथ्यों से इंकार किया और झूंठे उत्तर दिए, इसे श्रृंखला को पूरा करने के लिए लापता लिंक प्रदान करने के रूप में गिना जा सकता है, जिससे आरोपी के अपराध का दोषी होने का निष्कर्ष निकलता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 313

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक, एक चालक और एक सफाईकर्मी, पीडब्लू 5 और उसके बेटे पीडब्लू 16 के स्वामित्व वाली एक परिवहन कंपनी में यूरिया थैलों का परिवहन हेतु कार्यरत थे। पारगमन के दौरान वे पी. डब्ल्यू. 12 के स्वामित्व वाले एक होटल में चाय लेने के लिए रुके। वहाँ चार आरोपी-अपीलार्थी और एक लड़का उक्त लॉरी/ट्रक में सवार हुए।

इसके बाद, ये आरोपी व्यक्ति प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई गए और इकाई के एक कर्मचारी पीडब्लू 17 से तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए अनुरोध किया क्योंकि वे एक लॉरी दुर्घटना में घायल हो गए थे। चूंकि एक आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए उन्हें सरकारी सामान्य अस्पताल जाने का निर्देश दिया गया। आरोपी ने पीडब्लू 27 की मदद से पीडब्लू 30 के स्वामित्व वाली और संचालित एक टैक्सी की और अस्पताल पहुंचा। अभियुक्त व्यक्तियों में से एक की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सा अधिकारी पीडब्लू 28 ने उन्हें शहर के अस्पताल जाने की सलाह दी। उन्होंने वहां टैक्सी किराए पर ली लेकिन रास्ते में, टैक्सी खराब हो गई। किराए के बदले, उन्होंने कुछ नकद और एक कलाई घड़ी का भुगतान किया और एक और टैक्सी किराए पर ली और शहर के अस्पताल पहुंचे और इलाज करवाया। घायल आरोपी के बयान के आधार पर शहर की पुलिस ने मामला दर्ज किया और इसे संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया। लॉरी के मालिक पी. डब्ल्यू. 5 और पी. डब्ल्यू. 16 को तलब किया गया। किशोर अपराधी ने पी. डब्ल्यू. 16 को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अपराध करने के बारे में बताया। अगले दिन, एक पुलिया के पास एक शव मिला और एक स्थानीय निवासी, पीडब्लू 1 ने पुलिस को मामले की सूचना दी और पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज

किया गया और अन्वेषण किया। यह लॉरी के चालक और क्लीनर दोनों की हत्या का मामला निकला।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, निचली अदालत ने चारों अभियुक्त-अपीलार्थीयों को हत्या और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें कठोर आजीवन कारावास और एंथनी डी'सूजा बनाम कर्नाटक राज्य [सेमा.जे.] जुर्माने की सजा सुनाई गई। हालांकि, किशोर अपराधी के मामले को विभक्त कर दिया गया था। अपील पर, उच्च न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई । इसलिए यह अपील की गई है।

अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित कियाः

1.1. अभियोजन पक्ष के सभी गवाह स्वतंत्र गवाह थे। और अभियुक्तगण के प्रति द्वेष या दुर्भावना का कोई आरोप नहीं है। गवाहों से लंबी जिरह भी की गई लेकिन उनकी गवाही अखंडित रही। [580 - एफ]

1.2. यूरिया बैग ले जा रहे लॉरी की दुर्घटना हो गई और आरोपी उसी दुर्घटना में घायल हो गए। स्वास्थ्य इकाई के समूह 'डी' कर्मचारी पीडब्लू 17; कॉफी एस्टेट के मालिक पीडब्लू 27; और टैक्सी के मालिक और चालक पीडब्लू 30 जिनसे दुर्घटना के तुरंत बाद अभियुक्तगण ने संपर्क किया और अस्पताल जाने के लिए उनकी मदद मांगी गई की साक्ष्य से

यह पता चलता है। पीडब्लू 17, 27 और 30 की साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सा अधिकारियों पीडब्ल्यू 28, 26 और 29 के साक्ष्य से हुई है। पीडब्लू17 के कथन की पुष्टि पीडब्लू 27 और 30 के साक्ष्य से होती है। चूँकि पीडब्लू 17 स्वास्थ्य इकाई का 'डी' श्रेणी का कर्मचारी था और दुर्घटनास्थल के पास रह रहा था, इसलिए यह स्वाभाविक है कि आरोपी निकटतम स्थान जहाँ चिकित्सा सहायता उपलब्ध है पर जाएगा। इसके अलावा पीडब्लू 17 के साक्ष्य की पुष्टि पीडब्लू 27 के साक्ष्य से होती है जिसकी पुष्टि पीडब्लू 30 के साक्ष्य से होती है। अभियुक्तों की पहचान पीडब्लू 17, 27 और 30 द्वारा की गई थी। पीडब्लू 30 के साक्ष्य कि वह अभियुक्तों को स्वास्थ्य इकाई से अस्पताल ले गया था, की पुष्टि एक चिकित्सा अधिकारी, पीडब्लू28 के साक्ष्य से हुई है। यह सुसंगत है कि अभियुक्त एक लॉरी दुर्घटना में घायल हो गए थे और पीडब्ल्यू 27 और 30 की मदद से सरकारी अस्पताल आए थे। [580 - एफ, जी, एच; 581-ए, बी; एफ]

1.3. पी. डब्ल्यू. 30, टैक्सी चालक की साक्ष्य अभियुक्तगण के साथ जुड़ने वाला परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। पीडब्लू 30 ने दो मौकों पर सभी अभियुक्त व्यक्तियों से मुलाकात की। वह अभियुक्तगण से अच्छी तरह से परिचित था और अदालत में उन्हें स्पष्ट रूप से पहचानता था। अभियुक्तगण के प्रति पीडब्लू 30 की कोई दुर्भावना या विद्वेष नहीं है। उससे लंबी जिरह की गई लेकिन उसकी गवाही पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं

निकला। पी. डब्ल्यू. 30 के बयान की पुष्टि एमओ-19 की जब्ती से भी हुई है। इसने अभियुक्तगण को अपराध से जोड़ने वाली अभियोजन की कहानी को पुनः बल प्रदत्त किया है। मृतक के नियोक्ता पीडब्लू 5 और मृतक के छोटे भाई पीडब्लू 8 ने विशेष रूप से और सकारात्मक रूप से पहचान की कि एमओ-19, एक कलाई घड़ी मृतक की है। पीडब्लू8 मृतक का छोटा भाई होने के नाते, यह स्वाभाविक है कि उसके पास मृतक द्वारा पहनी जा रही कलाई घड़ी (सीको कंपनी) को देखने के लिए पर्याप्त समय और अवसर था, पीडब्लू5 ने यह भी स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टस [2002] पूरक. 3 एस.सी.आर कहा कि उसने मृतक को जब भी ड्यूटी के लिए आता था तो एमओ-19 पहने देखा था।

[582 - ए; डी, ई, एफ]

1.4. अभियुक्तगण के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य यह है कि विचाराधीन लॉरी से जुड़ी दुर्घटना में उन्हें लगी चोटों का डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा था। चिकित्सा अधिकारी पी डब्ल्यू 26 द्वारा बताए गए अभियुक्त संख्या 2 व 4 के पहचान चिन्ह का मिलान न्यायालय में प्रदर्श पी 30 तथा 31 में उल्लेखित शारीरिक पहचान चिन्हों से तथा न्यायालय में उनके वास्तविक जन्म चिन्हों से होने से स्पष्ट रूप से किसी भी उचित संदेह से परे स्थापित करता है कि यह अभियुक्त संख्या 2 और 4 ही थे जो सड़क दुर्घटना के इतिहास के साथ घायल अवस्था में

अस्पताल गए। ए-2 ने स्वीकार किया था कि ए-2 और ए-4 ने ट्रक में यात्रा की और बेलागोडू में दुर्घटना का शिकार हो गए और दोनों को चोटें आईं और उनका पहले सरकारी अस्पताल में इलाज किया गया और फिर उन्हें शहर के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। ए-2 ने हालांकि अपने बयान को धारा 313 सीआर.पी.सी के तहत उसके बयान में अस्वीकार कर दिया और कोई भी लॉरी दुर्घटना में किसी भी तरह की चोट लगने से भी इनकार किया।

[582-एच;583-डी;एफ]

1.5. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण को अपराध से जोडने हेतु परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा किये जाने का आधार अभियुक्तगण के खुलासे पर विभिन्न बरामदगी है। अनुसंधान के समय आरोपी नं. 1 से 3 द्वारा दोषकारी सामग्री की बरामदगी हेतु प्रकटकारी बयान दिये गये । ए-3 ने एक स्वैच्छिक प्रकटीकरण विवरण एक्स. पी-14 दिया जिसके कारण मृतक की कलाई घड़ी (एम-19) पी. डब्ल्यू. 30 टैक्सी चालक से मिली। दूसरी बरामदगी पी. डब्ल्यू. 13 की संपत्ति से मिले उर्वरक के थैले हैं । यह बरामदगी ए 1 द्वारा दिए गए स्वैच्छिक बयान (एक्स. पी.-30) के आधार पर की गई है। प्रकटीकरण बयान के अनुसरण में, पीडब्लू 34 ने पीडब्लू 13 के गोदाम से यूरिया के थैले बरामद किए। हालाँकि पीडब्लू 13 को पक्षद्रोही घोषित किया गया था और उसने अभियोजन पक्ष की कहानी का

समर्थन नहीं किया था, लेकिन उसने स्वीकार किया कि ए-3 उसकी संपत्ति में एक नौकर के रूप में काम कर रहा था। हालाँकि उसने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया, लेकिन दो तथ्य अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित किये गये कि ए-3 उसका नौकर था और बरामद किए गए उर्वरक के थैले उसके नहीं थे। [583 - एच; 584-ए-सी]

1.6. अभियुक्तों के खिलाफ पेश होने वाला एक अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य है - ए-3 की इत्तला पर हमला करने वाले हथियारों सहित (एम. ओ. 20 , 21 और 22) वस्तुओं की बरामदगी। इसके अलावा, एम-20 खून से सना हुआ था दोनों न्यायालयों ने एम-20, हमले के हथियार पर भरोसा किया। और इसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया था और इसकी पुष्टि की गई कि यह मानव रक्त से सना हुआ है।

[584 - ई, एफ]

1.7. अभियुक्तगण के खिलाफ सबसे शक्तिशाली परिस्थितिजन्य साक्ष्य स्वयं उनका आचरण है। अभियुक्तगण स्वयं अपने मकडजाल में फंस गए। ए 2 ने परिवाद (प्रदर्श पी 45) दर्ज कराया। अभियुक्त ए 2 द्वारा परिवाद में बताये गये नाम बाद में असत्य होना साबित हुए। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विभिन्न अस्पतालों में उपचार किये जाने बाबत पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। जो कि चिकित्सा अधिकारी पी डब्ल्यू 28, पी डब्ल्यू 26 तथा पी डब्ल्यू 29 की साक्ष्य से प्रकट होता है। इससे यह भी प्रकट होता

है कि अभियुक्तगण द्वारा लॉरी पर सवार होने तथा लॉरी के दुर्घटनाग्रस्त होने एवं लॉरी की दुर्घटना से उनके शरीर पर चोटें कारित होने के तथ्य स्वीकार किये गये हैं। उनके द्वारा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये कथनों में सुस्थापित तथ्यों को नकारा गया है तथा उनके द्वारा असत्य उत्तर दिये गये। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में जहां एक अभियुक्त उसके धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण में सुस्थापित तथ्यों के बारे में गलत उत्तर देता है, वहां यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला को पूरा करने के लिए लिंक प्रदान करने के रूप में समझा जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा धारा 396 सपठित धारा 149 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि को धारा 396 सपठित धारा 34 भा.द.सं. में परिवर्तित किया जाकर गलती की गयी है। पी डब्ल्यू 16 की साक्ष्य में यह आया है कि किशोर अभियुक्त द्वारा उसे यह बताया गया कि सभी पांच अभियुक्त मृतक की हत्या में सम्मिलित हुए। किशोर अभियुक्त का विचारण विभक्त किया जा चुका है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीयों को भा.द.सं. की धारा 396 सपठित धारा 149 के तहत दोषी ठहराते हुए सही फैसला सुनाया गया। [584 - जी, एच; 585-ए, बी, सी; जी, एच]

स्वपन पात्र बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1999] 9 एस. सी. सी. 242 और राज्य महाराष्ट्र बनाम सुरेश, [2000] 1 एस. सी. सी. 471 और

कुलदिप सिंह और अन्य बनाम. राजस्थान राज्य, जे. टी. (2000) 5 एस. सी. 161, का अनुसरण किया ।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं. 469/2001

कर्नाटक उच्च न्यायालय के अपील नंबर 779/1997 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.09.2000 के विरूद्ध ।

अपीलार्थियों की ओर से विजय पंजवानी (ए. सी.)।

प्रत्यर्थियों की ओर से सिद्धार्थ दवे, सत्य मित्रा और संजय आर. हेगड़े।

न्यायालय का निर्णय सेमा, जे. द्वारा दिया गया था

चार अपीलार्थी एंथनी डिसूज़ा, अनिल कुमार @अनिल डिसूजा, सेरिल डिसूजा और जॉर्ज डिसूजा उर्फ बबली का विचारण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चिकमंगलूर द्वारा किया गया तथा उन्हें अपराध अंतर्गत धारा 143 आई.पी.सी, धारा 396 सपठित धारा 149 आई.पी.सी एवं धारा 201 सपठित धारा 149 आई.पी.सी के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाकर धारा 143 आई.पी.सी के तहत छः महिने का साधारण कारावास, धारा 396 सपठित धारा 149 आई.पी.सी के तहत आजीवन कठोर कारावास तथा प्रत्येक पर पांच हजार रूपये जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना तीन महिने का साधारण कारावास तथा धारा 201 सपठित धारा 149 के तहत दो वर्ष का कठोर

कारावास एवं प्रत्येक पर दो हजार रूपये जुर्माना तथा अदम अदायगी जुर्माना तीन माह का साधारण कारावास की सजा दी गयी। सभी मूल सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील किये जाने पर उनकी दोषसिद्धि एवं सजा की पुष्टि की गयी। जिस पर वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैंः

पी. डब्ल्यू.-5 श्री कैस्टेलिनो और उनके बेटे पी. डब्ल्यू.-16 किरण कैस्टेलिनो के स्वामित्व वाली कंपनी से संबंधित लॉरी जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर सी.एन.ओ 8928 थे, पर मृतक विटटल शेटटी एवं पॉल चालक एवं परिचालक के रूप में नियुक्त थे। दिनांक 17.02.1922 को पीडब्लू 5 और 16 ने स्थानापन्न चालक पीडब्लू-15 पुट्टुमोनू द्वारा संचालित लॉरी को अपने कारखाने से मंगला यूरिया के 200 थैलों की डिलीवरी लेने के लिए पेनम्बूर भेजा था जिसे बालेहोन्नूर में मैसूर कॉफी क्यूरिंग वर्क्स ले जाया जाना था। पीडब्लू-9 बालकृष्ण वेंकटाद्री ट्रांसपोर्ट कंपनी के क्लर्क थे, जिसका कार्यालय मैंगलोर केमिकल उर्वरक कारखाने के बगल में है, ने सुबह 11.30 से दोपहर 3:30 बजे के बीच उर्वरक थैलों को भरवाया। डिलीवरी नोट सहित आवश्यक दस्तावेज सौंपने के बाद, ड्राइवर और क्लीनर मंगलौर के लिए रवाना हो गए। शाम के करीब 5 बजे, नियमित चालक मृतक विट्ठल शेट्टी ने अपनी ड्यूटी पर वापस रिपोर्ट किया और

पीडब्लू-5 ने उसे उर्वरक थैलों से भरे लॉरी के साथ बालेहोन्नूर जाने के लिए कहा। मृतक चालक अपने क्लीनर मृतक पॉल के साथ दिनांक 17.2.1992 को लगभग 7:30 बजे बालेहोन्नूर की ओर चला। बताया गया है कि रात करीब डेढ़ बजे दोनों मृतकों ने कोट्टीगेहारा में भारत होटल जो इब्राहिम पीडब्लू-12 द्वारा चलाया जाता था, पर चाय पीने के लिए लॉरी रोकी। जब दोनों मृतक लॉरी के साथ जाने वाले थे, तो यह कहा गया है कि चारों अपीलार्थी एक किशोर अपराधी के साथ, कुछ बात करने के बाद ट्रक में सवार हो गए और कोट्टीगेहारा से चले गए। तब से ट्रक या चालक के बारे में कुछ नहीं सुना गया। केवल दिनांक 18-02-1992 पर, जेनुगुड्डे गाँव के निवासी पार्श्वनाथ जैन पीडब्लू-। को एक पुलिया में एक शव मिलने की जानकारी मिलती है। उन्होंने बालेहोन्नूर पुलिस स्टेशन में पुलिस को एक ट्रंक कॉल बुक किया। फोन संदेश मिलने पर बालेहोन्नूर पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. कर्मचारियों के साथ जेनुगुडे गए और मृत शरीर पर कुछ चोटों को देखा। वह पुलिस स्टेशन वापस आए और स्वतः संज्ञान लेते हुए एक अज्ञात अपराधी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध सं.16/92 मामला दर्ज किया। इसके बाद, बालेहोन्नूर पुलिस स्टेशन के पीएसआई मल्लिकार्जुनप्पा पीडब्लू-33 द्वारा अनुसंधान की जाती है। अनुसंधान के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 36 गवाहों से पूछताछ की और प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, अपीलार्थीगण के

खिलाफ चालान पेश किया गया। स्वीकृत रूप से, कोई प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह नहीं है और अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा कियाः

(ए) दिनांक 18.02.1992 को लगभग 9.15 बजे, चार अपीलार्थियों के साथ किशोर अपराधी बेलागोडु प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई गया और गंगाधरिया पीडब्लू-17, जो एक समूह "डी" कर्मचारी थे, को सूचित किया कि वे एक लॉरी दुर्घटना में घायल हो गए हैं और उन्होंने तत्काल चिकित्सीय उपचार के लिए कहा । अभियुक्तों में से एक को गंभीर चोटें आने पर, पीडब्लू-17 ने उन्हें सकलेशपुर जनरल अस्पताल जाने का निर्देश दिया ।

(बी) इसके बाद अपीलकर्ता बेलागोडू में पी डब्ल्यू 27 रफीक अहमद द्वारा संचालित कॉफी एस्टेट में गए तथा सकलेशपुर जाने के लिए उनकी सहायता मांगी। पीडब्लू-27 ने घायल की हालत देखी और सकलेशपुर में रिश्तेदार से टैक्सी की व्यवस्था करने के लिए संपर्क किया ताकि घायलों को बेलागोडू ले जाया जा सके ।

(सी) टैक्सी के मालिक पीडब्लू-30 फिरोज खान को उनके स्वयं के द्वारा चलाई जा रही टैक्सी से बेलागोडू भेजा गया । पीडब्लू-30 घायल को

सरकारी अस्पताल, सकलेशपुर ले गया और उसकी टैक्सी का शुल्क 60 रू. अभियुक्त से प्राप्त किया ।

(डी) सकलेशपुर के सरकारी अस्पताल में, घायलों ने अपने नाम चिकित्सा अधिकारी पी डब्ल्यू 28 डाॅ. प्रकाश इनामदार को जे.डी'सूजा पुत्र जोसेफ, अनिल पुत्र जोसेफ, तथा मंजूनाथ (किशोर अपराधी) बताए । उन्होंने पीडब्लू-28 को यह भी सूचित किया कि वे दिनांक 18.02.1992 पर बेलागोडू गांव के पास एक ट्रक दुर्घटना में घायल हो गए।

(ई) पीडब्लू-28 ने मेडिको लीगल केस रजिस्टर में रजिस्टर के पृष्ठ 243 और 244 पर एक्स.पी.32 (a) (b) और (c) आवश्यक प्रविष्टियां कीं। डाॅक्टर ने जे.डी'सूजा नामक व्यक्ति पर गंभीर चोटें देखी। तदनुसार उन्होंने उन्हें मंगलौर में किसी बडे अस्पताल में जाने की सलाह दी।

(एफ) अभियुक्तगण टैक्सी स्टैंड पर गये और फिर से पीडब्लू-30 से मिले और उन्हें मैंगलोर ले जाने के लिए उसकी टैक्सी ली। पीडब्लू-30 की टैक्सी उप्पिनंगडी के पास खराब हो गई और पीडब्लू-30 ने उनसे कहा किसी अन्य वाहन को कर लें। अभियुक्तगण के पास पूरे शुल्क का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। उन्होंने उनमें से एक द्वारा पहनी गई एक कलाई घड़ी के अलावा 200/-रूपये का भुगतान किया। हालाँकि, उन्होंने पीडब्लू 30 से वादा किया कि वे वापस आएंगे और शेष

राशि का भुगतान करेंगे और लगभग तीन या चार दिनों के बाद कलाई घड़ी वापस ले लेंगे।

(जी) अभियुक्तगण द्वारा अन्य वाहन से मैंगलोर पहुंचने पर, उनमें से दो शाम लगभग 4 बजे वेनलॉक अस्पताल गए और डॉ. वसंत कुमार, पीडब्लू-26 ने उनका इलाज किया। डॉक्टर ने देखा कि घायल व्यक्तियों में से, जिनका नाम जॉर्ज डिसूज़ा था, गंभीर रूप से घायल थे और उनके साथ सुनील (बाद में अनिल होना पाया गया) नाम का एक अन्य लडका था। उन्होंने डॉक्टर को यह भी बताया कि उन्हें सड़क दुर्घटना में चोटें आई हैं। डॉक्टर ने मेडिको-लीगल केस रजिस्टर में उक्त प्रविष्टि की और एमएलसी को अधिकार क्षेत्र की पुलिस के पास भेज दिया ।

(एच) दिनांक 18.02.1992 को शाम लगभग 5.40 बजे पीडब्लू-35 वासुदेव ए. एस. आई. और मैंगलोर दक्षिण पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. अस्पताल गए और यह देखा कि घायलों में से एक की हालत गंभीर थी और अन्य साधारण चोटों के साथ बात करने में सक्षम थे। उन्होंने सक्षम घायल जिसने अपना नाम सुनील फर्नांडिस और गंभीर रूप से घायल का नाम जॉर्ज डिसूजा के रूप में बताया का बयान दर्ज किया । उन्होंने पीडब्लू-35 को यह भी बताया कि बेलागोडू के पास मोटर दुर्घटना में वे घायल हो गए। उन्होंने एक्स.पी.49 के माध्यम से बयान दर्ज किया है और अज्ञात लॉरी चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 और 337 के तहत

अपराधों के लिए अपराध संख्या 57/92 मामला भी दर्ज किया। पीडब्लू 35 ने देखा कि दुर्घटना सकलेशपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई थी, इसलिए मामले को अधिकार क्षेत्र की पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया।

(आई) इसके बाद सकलेशपुर ग्रामीण पुलिस थाने में अपराध सं.25/92 मामला फिर से दर्ज किया गया और पीडब्लू-32 ने पंजीकरण सं.सीएनओ 8928 लॉरी का पता लगाया। और लॉरी से उन्हें पता चला कि यह पीडब्ल्यू 5 और 16 की है और उन्होंने फोन पर उनसे संपर्क किया और उन्हें सूचित किया कि लॉरी बेलागोडू गांव के पास एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी और जॉर्ज, अनिल और मंजूनाथ नाम के तीन व्यक्तियों को दुर्घटना में चोटें आई थीं और उनका मैंगलोर के वेनलॉक अस्पताल में इलाज चल रहा था।

(जे) जानकारी मिलने पर पीडब्लू 5 और 16 वेनलॉक अस्पताल गए और पूछताछ में पता चला कि घायलों को डॉक्टर पीडब्लू-26 की सलाह पर उन्हें छुट्टी दे दी गई और वे केएमसी अस्पताल, बिजाई चले गए। केएमसी अस्पताल में, उन्होंने पाया कि जॉर्ज नाम का एक घायल व्यक्ति गंभीर था और गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती किया गया और बात करने में असमर्थ था। पी. डब्ल्यू.-5 ने पी. डब्ल्यू.-16 को विवरण प्राप्त करने के लिए पीछे छोड़ दिया।

(के) शाम को किसी समय पी डब्ल्यू 16 ने देखा कि तीन लोग एक लडके के साथ के.एम.सी अस्पताल बिजाई आये तथा जब उक्त तीन लोग, लडके को पीछे छोडकर आई.सी.यू में चले गये तब पी डब्ल्यू 16 ने जिज्ञासावश जांच की तब उस लडके से पता चला कि उक्त तीनों लोग एवं किशोर लॉरी के बेलागोडू में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण घायल हो गये थे। लड़के ने आगे खुलासा किया कि वह एक कुली के रूप में काम कर रहा था और चारों आरोपी दिनांक 17.02.1992 को उसे लगभग आधी रात कोट्टीगेहारा के होटल में ले आए। जब लॉरी होटल में रुकी तो उन्होंने ड्राइवर से उन्हें यात्री के रूप में लेने का अनुरोध किया। वे सभी केबिन में बैठ गए और कुछ दूर जाने के बाद उनमें से एक ने लॉरी को लघुशंका की बात कहकर रुकवाया। फिर अनिल (ए-2) ने प्लास्टिक की रस्सी से चालक का गला घोंटने की कोशिश की और जब चालक और क्लीनर ने भागने की कोशिश की तो उन्हें 'कट्टे' नामक लकड़ी के टुकड़े से मारा गया और दोनों की मौत हो गई। लड़के ने आगे खुलासा किया कि चालक की हाथ घडी एवं रूपये लेने के बाद आरोपी (ए-1) और अन्य लोग शवों को ठिकाने लगाने के लिए वाहन को जंगल की ओर ले गए। लड़के ने आगे खुलासा किया कि जब उन्होंने चालक के शव को जेनुगुडे के पास एक पुलिया में रखा और इससे पहले कि वे क्लीनर के शव को उसी तरह निपटाते, उन्होंने वाहन के आने की आवाज सुनी और वे लॉरी में आगे बढ़े और उसके बाद क्लीनर के

शव को भी एक पुलिया के नीचे रखा गया। लड़के ने आगे खुलासा किया कि इसके बाद लॉरी को एक राजेगौड़ा पीडब्लू-13 की संपत्ति में ले जाया गया और उर्वरक के थैलों को उतारने के बाद, जब वे बेलागोडू की ओर बढ़ रहे थे, लॉरी दुर्घटना का शिकार हो गई और वे सभी घायल हो गए।

इस प्रकार अभियुक्तगण को अपराध से जोडा गया जैसा कि ऊपर बताया गया है। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। अभियुक्त संख्या 1 एवं 3 ने स्वैच्छिक प्रकटकारी बयान प्रदर्श पी 39 एवं पी 40 के माध्यम से दिया जिससे पी डबल्यू 13 राजेगौडा की संपत्ति से 193 उर्वरक के थैले तथा पी डब्ल्यू 30 टैक्सी ड्राईवर के कब्जे से मृतक विटठल शेटटी की कलाई घडी एमआे 19 की खोज एवं बरामदगी हुई । इस प्रकटीकरण बयान से एमओ-20 लकड़ी के 'कट्टे' की बरामदगी हुई। जिसे कथित तौर पर अभियुक्तगण द्वारा मृतक विट्ठल शेट्टी और मृतक पॉल की हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया था। विचारण के दौरान, आरोपी नंबर 5 मंजूनाथ को एक किशोर अपराधी होना पाया गया और उसके मामले को विभाजित कर दिया गया था और सेशन मामले में केवल चार अभियुक्तगण पर मुकदमा चलाया गया था।

अभियुक्तगण की दोषसिद्धि को स्थापित करने हेतु अभियोजन द्वारा पी डब्ल्यू 1 लगायत पी डब्ल्यू 36 को परीक्षित कराया गया तथा प्रदर्श पी 1 लगायत पी 49 तथा एम.ओ-1 लगायत 24 को प्रदर्शित कराया गया ।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत उनके परीक्षण में अभियोजन की कहानी को पूर्ण से नकारा गया तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा ।

श्री विजय पंजवानी विद्वान न्यायमित्र द्वारा तर्क दिया गया कि अभियोजन का मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। ऐसे मामले में अभियोजन पक्ष को परिस्थितियों की श्रृंखला में उन सभी संबंधों को साबित करने की आवश्यकता होती है जो निर्विवाद रूप से एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं और वह है अभियुक्त का दोषी होना। उनके अनुसार, अभियुक्तगण को अपराध से जोडने हेतु परिस्थितियों की श्रृंखला को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया है।

जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, दोनों अदालतों द्वारा तथ्यों का समवर्ती निष्कर्ष निकाला गया है और यह अदालत तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने में तब तक धीमी होगी जब तक कि निष्कर्ष में कुछ विकृति न हो। यह भी कानून का स्थापित सिद्धांत है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें बिना किसी विवाद के केवल अपराध की परिकल्पना के अनुरूप अभियुक्तगण के दोषी होने के एक निष्कर्ष पर ले जाने वाला होना आवश्यक है। इस सिद्धांत को ध्यान में

रखते हुए अब हम इसका पता लगाने के लिए आगे बढ़ेंगे कि क्या दोनों न्यायालयों द्वारा प्राप्त निष्कर्ष किसी दुर्बलता से ग्रस्त है।

इससे पहले कि हम आगे बढें, हम यह इंगित कर सकते हैं कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाह स्वतंत्र गवाह थे और उनका अभियुक्तगण के प्रति दुर्भावना या विद्वेष का कोई आरोप नहीं है। गवाहों से भी विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है। लेकिन उनकी गवाही अखंडित रही है।

यह विवादित नहीं है कि दिनांक 17.02.1992 पर, 200 मैंगलोर युरिया बैगों से लदी सी. एन. ओ. 8928 वाली लॉरी, मृतक विट्ठल शेट्टी द्वारा मृतक परिचालक पाॅल के साथ चलाई जाकर मैगलोर से बालेहोन्नूर के लिए रवाना हुई । उक्त लॉरी किरन ट्रांसपोर्ट कम्पनी के पी डब्ल्यू 5 व पी डब्ल्यू 16 की थी । उक्त लॉरी बेलागोडू के पास एक दुर्घटना का शिकार हो गयी जब आरोपी उसी दुर्घटना में घायल हो गए। यह पीडब्लू 17,27 और 30 के गवाहों से पता चलता है जो वे व्यक्ति हैं जिनसे अभियुक्तगण द्वारा तुरंत संपर्क किया गया था। तथा दुर्घटना के बाद अस्पताल जाने के लिए उनकी मदद मांगी गई। पीडब्लू 17,27 और 30 के साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सा अधिकारियों पीडबल्यू 28, 26 और 29 के साक्ष्य से भी की गई है। बेलागोडू में स्वास्थ्य इकाई के समूह 'डी' कर्मचारी पीडब्लू-17 गंगा शेट्टी के साक्ष्य में कहा गया है कि दिनांक 18.2.1992 पर सभी आरोपी एक लड़के के साथ स्वास्थ्य इकाई में आए और उन्हें सूचित किया कि वे

जिस लॉरी में वे यात्रा कर रहे थे, उसकी दुर्घटना में वे घायल हो गए थे। चूंकि कोई चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्होंने आरोपी को सकलेशपुर के सामान्य अस्पताल से संपर्क करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एक आरोपी के सिर पर गंभीर चोट लगी थी। पीडब्लू-17 के कथन की पुष्टि पीडब्लू 27 और 30 की साक्ष्य से की गई है जैसा कि देखा गया है, पीडब्लू-17 पीएचयू, बेलागोडू का 'डी' श्रेणी का कर्मचारी था और दुर्घटना स्थल के पास रहता था, यह स्वाभाविक है कि आरोपी निकटतम स्थान पर जाएगा जहां चिकित्सा सहायता उपलब्ध है। इसके अलावा पीडब्लू-17 के साक्ष्य की पुष्टि पीडब्लू 27 के साक्ष्य से होती है जो बेलागोडु गांव के कॉफी एस्टेट के मालिक हैं। यह पीडब्लू 27 के बयान में है कि दिनांक 18.02.1992 को सुबह लगभग 9 बजे अभियुक्त संख्या 1 से 4 उसकी संपत्ति में आये जिसमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया था और उन्होनें उसकी मदद सकलेशपुर के अस्पताल में जाने के लिए मांगी। यह भी कहा गया है घायलों की स्थिति को देखने के बाद उन्होंने एक रिश्तेदार को फोन किया जो सकलेशपुर में हिलाल कॉफी वर्क्स के मालिक भी हैं और उनसे घायलों को सकलेशपुर अस्पताल ले जाने के लिए टैक्सी भेजने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। लगभग सुबह 10.30 बजे एक टैक्सी आई और घायलों को टैक्सी में सकलेशपुर ले जाया गया। पी. डब्ल्यू.-27 के साक्ष्य की पुष्टि टैक्सी चालक फिरोजखान पी. डब्ल्यू.-30 के

साक्ष्य से होती है। पीडब्लू-30 ने कहा कि वह एक टैक्सी चालक है जो पंजीकरण संख्या एमईएक्स 2837 टैक्सी चला रहा है। हिलाल कॉफी वर्क्स के मालिक से सूचना मिलने पर कि बेलागोडू से एक फोन आया था जिसमें कहा गया था कि बेलागोडू में एक दुर्घटना हुई है और घायलों को अस्पताल में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। उन्होंने टैक्सी ली, बेलागोडु गए और लगभग 9:30 या 9.45 बजे बाहरी इलाके में पहुंचे और कुछ लोगों को खड़े देखा और उनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उन्हें सकलेशपुर के सरकारी अस्पताल ले गए और उसे 60/- रुपये का टैक्सी शुल्क मिला। अभियुक्तों की पहचान पीडब्ल्यू 17,27 और 30 द्वारा की गई थी। पी.डब्ल्यू30 की साक्ष्य कि वह अभियुक्तगण को बेलागोडू से सकलेशपुर अस्पताल ले गया था की पुष्टि, डाॅ. प्रकाश इनामदार पीडब्लू-28 की साक्ष्य से हुई है। पीडब्लू-28 के साक्ष्य में कहा गया है कि वह एक चिकित्सा अधिकारी थे। सकलेशपुर में सरकारी अस्पताल और दिनांक 18.2.1992 पर उसने तीन घायल व्यक्तियों की जांच की गई जिन्होंने डिसूजा पुत्र जोसेफ डिसूजा, अनिल पुत्र जोसेफ डिसूजा और मंजूनाथ पुत्र आर शेट्टी के रूप में अपने नामों का खुलासा किया। अभियुक्तों ने उन्हें यह भी बताया कि वे बेलागोडु गाँव के पास एक मोटर वाहन दुर्घटना के शिकार हुए थे। पीडब्लू-28 ने न केवल अभियुक्त का इलाज किया, बल्कि मेडिको लीगल रजिस्टर में चोटों को भी नोट किया और इसे एक्स.पी-32 और पी-32 ए, बी तथा

सी में प्रासंगिक प्रविष्टियों के माध्यम से चिह्नित किया। आरोपी बेलागोडू गाँव में एक लॉरी दुर्घटना में घायल हो गए और बाद में पीडब्ल्यूएस 27 और 30 की मदद से सकलेशपुर सरकारी अस्पताल आए। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, अभियुक्तगण के खिलाफ निम्नलिखित परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से स्थापित की गई हैं।

अभियुक्त के साथ जुड़ने वाला पहला परिस्थितिजन्य साक्ष्य है पीडब्लू-30, टैक्सी चालक का साक्ष्य। यह पीडब्लू 27 (चिकित्सा अधिकारी) के साक्ष्य में देखा गया है जिसने आरोपी को गंभीर रूप से घायल को मैंगलोर के एक बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी थी। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार अभियुक्तगण फिर से टैक्सी स्टैंड पर आये और पीडब्लू-30 से मिले और उसे घायल को अपनी टैक्सी में मंगलौर ले जाने के लिए कहा। पीडब्लू-30 इस शर्त पर अनुरोध पर सहमत हो गया कि वे उसके टैक्सी शुल्क 550 रूपये का भुगतान करेंगे। शुल्क 500 रूपये पर तय किया गया, और फिर वे मैंगलोर की ओर रवाना हो गए। यह पीडब्लू-30 के साक्ष्य में है कि जब वे उप्पिनंगडी के पास आगे बढ़ रहे थे टैक्सी में कुछ यांत्रिक खराबी हो गई और उसने अभियुक्तगण को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कहा। यह आगे कहा गया है कि टैक्सी शुल्क की मांग होने पर अभियुक्तों ने पूरी राशि का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की और 200 रुपये का भुगतान किया। पीडब्लू-30 द्वारा जोर दिए जाने पर

पूर्ण भुगतान के लिए 200 रूपये साथ में "सीको" कलाई घड़ी दी गई थी तथा कहा गया था कि वे वापस आएंगे और शेष राशि भुगतान करने के तीन या चार दिन बाद कलाई घड़ी वापस ले लेंगे। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, पीडब्लू-30 ने दो मौकों पर सभी अभियुक्त व्यक्तियों से मुलाकात की। वह अभियुक्तगणों से अच्छी तरह से परिचित था और अदालत में उन्हें स्पष्ट रूप से पहचाना गया। अभियुक्तगण के प्रति पीडब्लू 30 की कोई दुर्भावना या विद्वेष नहीं है। उसे लंबी जिरह के अधीन किया गया था लेकिन उनकी गवाही को खण्डित करने के लिए कुछ भी नहीं था। पीडब्लू-30 के बयान की पुष्टि एमओ-19 की जब्ती से भी हुई है। इसने अभियुक्त को अपराध से जोड़ने वाली अभियोजन की कहानी को फिर से मजबूत किया। मृतक विट्ठल शेट्टी के नियोक्ता पीडब्लू-5 और मृतक के छोटे भाई पीडब्लू-8 रघुनाथ शेट्टी ने विशेष रूप से और सकारात्मक रूप से पहचान की थी कि एमओ-19 एक कलाई घड़ी मृतक विट्ठल शेट्टी की है। पीडब्लू-8 मृतक विट्ठल शेट्टी का छोटा भाई होने से स्वाभाविक है कि उसके पास कलाई घड़ी देखने के लिए पर्याप्त समय और अवसर था (सीको कंपनी) जिसे मृतक विट्ठल शेट्टी द्वारा पहना जा रहा था। विट्टल शेट्टी के नियोक्ता पीडब्लू-5 ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने मृतक को हर बार जब वह ड्यूटी के लिए आता था एमओ-19 पहने देखा था। ऊपर बताए गए साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह अच्छी तरह से

स्थापित किया गया है कि बेलागोडू में एक लॉरी दुर्घटना में अभियुक्तों के शरीर पर चोटें आईं और वे बेलागोडू से सकलेशपुर गए।

अभियुक्तगण के खिलाफ दूसरा परिस्थितिजन्य साक्ष्य यह है कि विचाराधीन लॉरी की दुर्घटना में उन्हें लगी चोटों का डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा था। डॉ. वसंतकुमार, पीडब्लू-26 ने कहा है कि उन्होंने सकलेशपुर से सुनील (अनिल के रूप में स्थापित) द्वारा लाए गए जॉर्ज डिसूजा (ए-4) नाम के एक घायल व्यक्ति की जांच की और उसके शरीर पर घाव देखे। और घाव प्रमाणपत्र एक्स. पी.-30 दर्ज किया। उनके अनुसार, यह लॉरी दुर्घटना में घायल होने का मामला था। उन्होंने कहा है कि घायलों के साथ आए व्यक्ति ने अपना नाम सुनील बताया था। इस डॉक्टर अपनी मुख्य परीक्षा में प्रदर्श पी.-30 को पेश किया और कहा कि चोट की देखभाल करते समय उन्होंने घायल जॉर्ज और सुनील दोनों के शरीर पर पहचान योग्य निशान देखे थे। जॉर्ज डिसूजा की गर्दन के सामने एक काला तिल मिला और न्यायालय में जन्म चिन्ह की मदद से उन्होंने आरोपी नंबर 4 की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की है जिसे सुनील घायल हालत में लाया था। सुनील के संबंध में, उन्होंने फिर से उसके लगी चोटों को नोट किया और प्रदर्श पी. 31 के माध्यम से घाव प्रमाण पत्र जारी किया। उन्होंने अदालत के समक्ष कहा है कि उन्होंने उक्त सुनील पर छाती के सामने दाहिने निप्पल के नीचे 2 "के भूरे रंग के तिल के रूप में

पहचान का निशान नोट किया है। इस गवाह ने आरोपी नंबर 2 (अनिल के रूप में स्थापित) की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की जो ए-4 को अस्पताल लाया और अपना नाम सुनील बताया तथा प्रदर्श पी 31 में पहचान चिन्ह देखने के पश्चात उसकी पहचान की । अभियुक्त संख्या 2 व 4 के पहचान चिन्ह जो पी डब्ल्यू 26 द्वारा न्यायालय में शारीरिक पहचान योग्य चिन्ह के रूप में प्रदर्श पी 30 व 31 में दर्शाये गए का मिलान वास्तविक जन्म चिन्हों से न्यायालय के समक्ष होने से यह स्पष्ट रूप से किसी भी उचित संदेह से परे स्थापित करता है कि यह अभियुक्त संख्या 2 और 4 ही थे जो सड़क दुर्घटना के इतिहास के साथ 18.2.1992 को घायल हालत में वेनलॉक अस्पताल गए। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, ए-2 ने एक्स. पी.-45 के माध्यम से दुर्घटना की शिकायत भी दर्ज कराई। मैंगलोर दक्षिण पुलिस स्टेशन के पीडब्लू-35 बी. वासुदेव पीएसआई ने ए-2 का बयान एक्सपी-49 के रूप में दर्ज किया जिसमें उसने अपना नाम सुनील बताया। ए-2 ने एक्स. पी.-49 के बयान में कहा है कि दिनांक 18.02.1992 को उसने अपने बहनोई ए-4 के साथ एक लॉरी में मंगलौर की ओर यात्रा की और जब लॉरी बेलागोडू के पास आई तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण लगभग 10.30 बजे चालक ने लॉरी को पलट दिया और सवारियों को चोटें आईं और चालक और क्लीनर मौके से भाग गए। देखा जाता है, ए-2 ने स्वीकार किया है कि ए-2 व ए-

4 ने ट्रक में यात्रा की तथा बेलागोड्डू पर दुर्घटना होने से उन दोनों को चोटें आयी तथा उन्हें इलाज के लिए कार से सकलेशपुर लाया गया और वहां से वेनलॉक अस्पताल, मैंगलोर लाया गया। हालांकि, ए-2 ने धारा 313 सीआर.पी.सीके तहत अपने बयान में अपने बयान को अस्वीकार कर दिया और किसी भी चोट लगने या किसी लॉरी दुर्घटना से भी इनकार किया।

अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त को अपराध से जोडने हेतु भरोसा किए गए तीसरी परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्तगण के खुलासे पर की गई विभिन्न बरामदगी है। पूछताछ के समय अभियुक्त संख्या 1 से 3 द्वारा खुलासा किए गए बयानों से आपत्तिजनक सामग्री की खोज हुई। ए-3 ने एक स्वैच्छिक प्रकटीकरण बयान एक्स. पी.-14 दिया जिसके कारण मृतक विट्ठल शेट्टी की रिस्ट वॉच एम-19 की, पी. डब्ल्यू.-30, टैक्सी चालक से खोज हुई। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि प्रदर्श एम.-19 रिस्ट वॉच मृतक विट्ठल शेट्टी की होना पीडब्लू 5 और 8 द्वारा साबित किया गया है। दूसरी बरामदगी पी डब्ल्यू 13 की संपत्ति से उर्वरक के 193 थैले हैं। यह बरामदगी ए-1 द्वारा दिए गए स्वैच्छिक बयान एक्स. पी.-39 के के आधार पर की गई है। प्रकटीकरण बयान के अनुसार पीडब्लू-34 ने मंगला यूरिया के 193 थैले बरामद किए जो पीडब्लू-13 के गोदाम में भंडारित पाए गए थे। उक्त यूरिया थैलों को मृतक मंगलौर से बालेहोन्नूर के लिए लॉरी में लाए थे । पीडब्लू-13 को पक्षद्रोही घोषित किया गया और उसने अभियोजन

पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया। हालाँकि, पीडब्लू-13 ने स्वीकार किया कि ए-3 सीरियल डिसूज़ा उसकी संपत्ति में एक नौकर के रूप में काम कर रहा था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि 23 या 24 फरवरी, 1992 के आसपास पुलिस दल उनकी संपत्ति में आया और उनकी संपत्ति से उर्वरक के 193 थैले जब्त किए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उसने जब्ती पंचनामा एक्स. पी.-15 पर अपना हस्ताक्षर किया था। हालाँकि पीडब्लू-13 ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा दो तथ्य स्थापित किए गए कि ए-3 उसका नौकर था और उर्वरक के 193 थैले जो उसके नहीं थे, ए-3 द्वारा दिए गए स्वैच्छिक प्रकटीकरण बयान पर पुलिस द्वारा उसकी संपत्ति से जब्त किए गए थे। 193 थैले जो मंगला यूरिया के 200 थैलों का हिस्सा थे जिन्हें उक्त लॉरी द्वारा मैंगलोर से बालेहोन्नूर ले जाया गया था। जब्ती अनुसंधान अधिकारी और पंच गवाह द्वारा साबित की गई है। उर्वरक थैले बालेहोन्नूर के एम.सी.सी.डब्ल्यू से संबंधित हैं यह पीडब्लू-8 ने पेन्नाबुर कारखाने से खरीद किये जाने से साबित किया है।

अभियुक्तगण के खिलाफ पेश होने वाला चौथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य ए-3 की सूचना पर एम.ओ 20,21 एवं 22 की बरामदगी है। एम-20 लकड़ी ''कटटे'' है "आरोप है कि कट्टे का इस्तेमाल दोनों मृतकों की हत्या के लिए किया गया था। नीचे के दोनों कोर्ट ने लॉरी के साइड मिरर एम. ओ.-

21 और लॉरी में लगे एम. ओ.-22 सनमाइका पीस पर ज्यादा निर्भरता नहीं रखी। हालाँकि, दोनों अदालतों ने एम-20 हमला करने वाले हथियार पर भरोसा किया। एम-20 खून से सना हुआ था और इसे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया और यह पुष्टि की गई है कि इस पर मानव रक्त के धब्बे थे।

अंतिम और संभवतः सबसे दुर्जेय परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त के खिलाफ उनका अपना आचरण है। ऐसा प्रकट होता है कि अभियुक्त अपने ही जाल में उलझे गए। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि ए-2 ने एक्स. पी.-45 शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में ए-2 ने कहा है कि वे उस लॉरी के सवार थे जो बेलागोड़ू के पास सकलेशपुर होते हुए दिनांक 18.2.1992 को चालक की तेजगति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उनकी लॉरी पलटकर नीचे गिर गयी और दुर्घटना के कारण शिकायतकर्ता और उसके चचेरे भाई डिसूजा को गंभीर चोटें आई और उनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिस शिकायत के आधार पर आई. पी. सी. की धारा 279/337 के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में ए-2 ने उसका नाम सुनील फरनांडिस बताया गया जो बाद में झूठा साबित हुआ और अनिल के रूप में स्थापित हुआ, जैसा कि पहले देखा गया था। रिकॉर्ड पर इस बात के भी पर्याप्त सबूत हैं कि अभियुक्तों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया गया है। यह

डॉ. प्रकाश इनामदार पी-28 और डॉ. वसंतकुमार पी. डब्ल्यू-26 और पी. डब्ल्यू-29 डॉ. चंद्र कुमार बल्लाल के साक्ष्य से पता चलता है, जैसा कि पहले देखा गया था। इससे यह प्रकट होता है कि अभियुक्तगण ने लॉरी में चढ़ना स्वीकार किया था और लॉरी दुर्घटना का शिकार हो गई और लॉरी दुर्घटना में उनके शरीर पर चोटें आईं। धारा 313 सीआर.पी.सी. के तहत अपनी परीक्षा में अभियुक्तगण ने अभियोजन पक्ष की कहानी को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि लॉरी दुर्घटना हुई थी। उन्होंने किसी तरह की चोट लगने से भी इनकार किया। संक्षेप में, अपने 313 बयानों में उन्होंने स्थापित तथ्यों का पूरी तरह से खंडन किया और गलत जवाब दिए। अब तक यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में जहां एक आरोपी स्थापित तथ्यों के खिलाफ 313 के तहत अपनी परीक्षा में गलत जवाब देता है, उसे श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक लापता कड़ी प्रदान करने के रूप में गिना जा सकता है।

स्वप्नपात्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [1999]9 एस.सी.सी 242 में इस न्यायालय ने कहा है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में जहां अभियुक्त एक स्पष्टीकरण देता है तथा वह स्पष्टीकरण सत्य होना नहीं पाया जाता है वहां ऐसा स्पष्टीकरण परिस्थितियों की श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए एक अतिरिक्त कडी प्रदान करता है। इसी सिद्धांत को महाराष्ट्र राज्य

बनाम सुरेश [2000]1 एस.सी.सी 471 में दोहराया एवं अनुसरण किया गया है। जहां यह कहा गया है कि अभियुक्त का ध्यान जब किसी परिस्थिति की ओर आकर्षित कराया जाता है तथा उसके द्वारा उसका गलत उत्तर दिया जाता है वहां यह उस परिस्थिति को अभियुक्त को दोषी ठहराने योग्य बनाता है। इस न्यायालय ने आगे यह इंगित किया है कि ऐसी स्थिति में गलत उत्तर को श्रृंखला को पूर्ण किये जाने हेतु लापता कडी प्रदान करने के रूप में गिना जा सकता है। उपरोक्त सिद्धांत का कुलदीप सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य जे.पी 2000[5] एस.सी 161 में फिर से अनुसरण किया गया व दोहराया गया है ।

अतः हमारे विचार में परिस्थितियों की श्रृंखला इस न्यायालय द्वारा ऊपर वर्णित किये गये न्यायिक विनिश्चयों के साथ निर्विवाद रूप से एक निष्कर्ष पर ले जाती है वह है अभियुक्तगण की दोषसिद्धि।

हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को धारा 396 सपठित धारा 149 भा.द.सं. से धारा 396 सपठित धारा 34 भा.द.सं. में परिवर्तित कर एक त्रुटि कारित की गयी है। पीडब्लू-16 किरण कैस्टोलिना के साक्ष्य में यह है कि किशोर आरोपी मजनुनाथ ने उसे बताया था कि सभी पांचों अभियुक्तों ने मृतक विट्टल शेट्टी और पॉल की हत्या में भाग लिया था। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि किशोर आरोपी मजनुनाथ के मुकदमे को विभाजित कर दिया गया है। इसलिए, विचारण न्यायालय ने

अपीलार्थियों को भा.द.सं. की धारा 396 सपठित भा.द.सं. की धारा 149 के तहत सही दोषी ठहराया।

परिणामस्वरूप, यह अपील योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दी जाती है।

हम श्री पंजवानी, विद्वान न्यायमित्र के प्रति उनकी सक्षम सहायता के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करते हैं ।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नरेश सिंह (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा |